आज दिनांक 23.09.2013 को 10.30 बजे पूर्वाह्न में जिला पदाधिकारी, महोदय, मधेपुरा की अध्यक्षता में कला भवन, मधेपुरा की बैठक की कार्यवाही :-

उपस्थिति :-

उपस्थिति पंजी के अनुसार।

प्रस्ताव संख्या- 01

सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि किराये में बढ़ोतरी निम्न प्रकार से की जायः-

व्यवसायी उद्देश्य से आरक्षण कराया जाता है तो 7000/- (सात हजार) रूपये प्रतिदिन, राजनैतिक अथवा सांस्कृतिक कार्यक्रम हेतु 3000/- (तीन हजार) रूपये। प्रतिदिन हॉल में किसी प्रकार का वास वल्ला, गंदगी, कांटी ईत्यादि का प्रयोग नहीं करेंगे। ऐसा पाये जाने पर जुर्माना के रूप में 5000/- (पाँच हजार) रूपये दण्ड लिया जाएगा। और भविष्य में उन्हें कला भवन आवंटित नहीं किया जाएगा।

इसी कम में यह भी निर्णय लिया जाता है कि सम्पूर्ण स्टेडियम मैदान कमरा/ हॉल सहित लेने पर 6000/- (छः हजार) रूपये एवं सिर्फ मैदान का 4000/- (चार हजार) रूपये एवं सिर्फ हॉल का 3000/- (तीन हजार) रूपये निर्धारित किया जाता है। यह भी निर्णय लिया गया कि आरक्षण की राशि जमा होने पर अगर आरक्षणकर्त्ता नगर भवन उपयोग नहीं करते हैं तो 5 दिन पूर्व सूचना देंगे और आरक्षण की राशि में से 30% कटौती कर आरक्षण की राशि वापस कर देंगे। अगर आरक्षण तिथि को सूचना देते हैं तो 40% की कटौती कर वापस करेंगे।

प्रस्ताव संख्या- 02

कला भवन का आरक्षण पहले आओ और पहले पाओ की नीति पर होगा। कला भवन की दैनिक उपलब्धता को जिला के वेवसाईट पर प्रदर्शित करेंगे। यह कार्य NIC मधेपुरा के द्वारा किया जाएगा। किसी भी समय आरक्षण को रद्द करने का अधिकार जिला पदाधिकारी, महोदय, मधेपुरा के पास सुरक्षित रहेगा।

सर्व सम्मति से यह भी निर्णय लिया गया कि कला भवन एवं बी0पी0मंडल नगर, मधेपुरा के संचालन समिति के सदस्य के रूप में स्थानीय प्रतिनिधि को नामित करने हेतु माननीय सांसद, श्री शरद यादव को अनुरोध भेजा जाए।

प्रस्ताव संख्या- 03

कला भवन एवं स्टेडियम रख-रखाव की सम्पूर्ण व्यवस्था जिला अतिथि गृह, मधेपुरा के कैयर टैकर के द्वारा किया जाएगा। कला भवन मधेपुरा को सुसज्जित करने हेतु जिला नजारत उप समाहर्त्ता, मधेपुरा, कार्यपालक अभियंता, स्था0ग्रा0विकास अभियंत्रण, मधेपुरा के सहयोग से अलग से प्रस्ताव देंगे।

अन्त में धन्यवाद ज्ञापन के पश्चात् बैठक की कार्यवाही सम्पन्न की गई है।

जिला पदाधिकारी,
मधेपुरा।

क्रमांक 259-2(A) नजारत दिनांक 31/10/2013

प्रतिलिपि अनुमंडल पदाधिकारी, मधेपुरा / कार्यपालक अभियंता, स्थानीय क्षेत्र विकास अभियंत्रण, मधेपुरा / कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमंडल, मधेपुरा / जिला जन सम्पर्क पदाधिकारी, मधेपुरा / जिला सूचना विज्ञान अधिकारी, मधेपुरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि प्रभारी पदाधिकारी, जिला गोपनीय शाखा, मधेपुरा को सूचनार्थ प्रेषित।

31/X/13

जिला नजारत उप समाहर्ता,
मधेपुरा

31-10-2013